


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक: 1(2) ग्रावि / नरेगा / गाईड लाईन / पार्ट-1 / 2012

जयपुर, दिनांक: 30.10.2012

- 4 DEC 2012

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
संगरत।

विषय:— महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

चारागाह विकास कार्यक्रम हेतु अति मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं परावि के स्तर पर आयोजित वैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 17.10.2012 के द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। आपसे अनुरोध है महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 2013-14 के दौरान चारागाह विकास कार्यक्रम हेतु निम्न कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित हो जावे—

1. औसतन 50 हैक्टेयर की अविवादित अथवा कम अतिक्रमित चारागाह भूमि का वयन एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 प्रस्ताव महात्मा गांधी नरेगा योजना के 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।
2. वृक्षारोपण कार्यों हेतु श्रमिकों का नियोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे।
3. चारागाह विकास का व्यय ग्रा.पं. स्तर पर अनुमत श्रम सामग्री अनुपात 60 : 40 का भए होगा।
4. चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में ग्रा. पं. को जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सहायता उपलब्ध कराई जावे।
5. प्रस्तावित कार्य स्थलों का चयन दिसम्बर, 2012 तक हो जावे ताकि 1 अप्रैल, 2013 तक वृक्षारोपण हेतु गड्डे आदि बनाने एवं पौधारोपण हेतु खड़ों की मिट्टी का उपचार कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।
6. बाथफ, FES, भीलवाड़ा एवं बारां जिले में विकसित चारागाह आदि की फिल्ड विजिट फरवरी, 2013 तक कराई जावे ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके एवं योजनान्तर्गत सफल परिणाम अर्जित हो सके।
7. जिला परिषद स्तर पर सहायक वन संरक्षक को इस कार्यक्रम हेतु नोडल आधिकारी बनाया जावे। इस हेतु आवश्यक स्टॉफ व साधन नरेगा से उपलब्ध कराया जावे, विभाग को भी इस संबंध में नियमित रूप से जोड़ा जावे।
8. सड़कों एवं नहरों के दोनों तरफ निरन्तरता से वृक्षारोपण एवं वानिकी का कारो कराया जावे। (कैटेगरी 4 में अनुमत वर्ग एवं अन्य श्रेणी के किसानों के खेतों पर)
9. चारागाह विकास की प्रगति से मासिक रूप से अवगत कराया जावे।

भवदीय

अभय कुमार
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रांतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय, ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जयपुर/जोधपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त/सहायक वन संरक्षक, जि.प. समस्त।
7. सभी विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी (पं.स. समस्त) केवल ई—मेल से।
8. अधिशाषी अभियंता (वी), कार्यालय हाजा को मासिक प्रगति उपलब्ध कराने बाबत।
9. एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई—मेल करने एवं वैबसाइट पूर अपलोड करने हेतु


परि.निदि. एव उप सचिव, ईजीएस।